बहस सुनी गई । पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि दिनांक 27.08.2016 को पुलिस थाना पिड़ावा द्वारा केरोसीन पकडने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने पर पुलिस थाना पहुंचने पर पुलिस थाना द्वारा एक महिन्द्रा लोडिंग ऑटो सं0 आरजे 17 जीए 2618 में नीला केरोसीन 410 लीटर 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता में मिला । वाहन के ड्राईवर कालूसिह ने स्वंय को वाहन का मालिक बताया। ड्राईवर द्वारा गाडी में केरोसीन,गेंहू धनिया आदि को खारपां कला से पिड़ावा त्रिलोक जैन के यंहा बेचने जाना बताया व उक्त नीला केरोसीन रखबचन्द जैन नि0 खारपां कला का होना बताया। उक्त द्वारा केरोसीन(उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन)आदेश 1993 के क्लॉज 3(1)(2) 3 ख एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 का स्पष्ट उल्लंघन करने पर समस्त 410 लीटर नीले केरोसीन को सभी ड्रम व जेरीकेनों से थोडी–थोडी मात्रा में 03 कांच की 375 एम एल क्षमता की बोतल में सेम्पल लेकर एफएसएल जयपुर भिजवाये गये, शेष रहे 408 लीटर नीले केरोसीन मय लोहे के ड्रम व जेरीकेन को जब्त किया जाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति,पिड़ावा के व्यवस्थापक अब्दुल रशीद की सुपुर्दगी में दिया गया एवं इसके अतिरिक्त पुलिस थाना पिड़ावा में कालूसिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की सहपठित धारा 7 के तहत 155/2016 नम्बर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अप्रार्थी द्वारा केरोसीन(उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन)आदेश 1993 के क्लॉज 3(1)(2) 3 ख एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने पर जब्त 408 लीटर नीला केरोसीन मय लोहे के ड्रम व जेरीकेन को राजसात किया जावे। दौराने सुनवाई अभिभाषक अप्रार्थी के उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। दिनांक 27.08.2016 को पुलिस थाना पिड़ावा द्वारा केरोसीन पकडने की सूचना प्रवर्तन निरीक्षक पिड़ावा को दूरभाष पर प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक के पुलिस थाना पहुंचने पर पुलिस थाना द्वारा एक महिन्द्रा लोडिंग ऑटो सं0 आरजे 17 जीए 2618 में नीला केरोसीन 410 लीटर 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता में मिलने पर अप्रार्थी द्वारा केरोसीन(उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन)आदेश 1993 के क्लॉज 3(1)(2) 3 ख एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 का स्पष्ट उल्लंघन होने के उपरान्त ही कार्यवाही की गई है। अनुदानित नीले केरोसीन का उपयोग केवल रोशनी एवं खाद्य व्यवस्था के लिये ही किया जा सकता है एवं उचित मूल्य दुकानदार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना उसकी बिक्री एवं भण्डारण नही कर सकता । उपरोक्त विवेचन से अप्रार्थी का कृत्य माफ नही किया जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से केरोसीन के किये गये परिवहन,भण्डारण के कृत्य को किसी तरह का संरक्षण प्रदान नही किया जा सकता। अप्रार्थी का यह कृत्य केरोसीन(उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन)आदेश 1993 के क्लॉज 3(1)(2) 3 ख एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्त नीले केरोसीन को राजसात किया जाता है व कार्यालय के पत्रांक 437/रीडर/16 दिनांक 04.10.2016 से जब्त 408 लीटर नीला केरोसीन मय 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता वाली के अन्तरिम निस्तारण आदेश की पालना में किये गये अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जो अमानत मद में जमा है को अमानत मद से हटाकर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाता हैं। चूंकि प्रवर्तन निरीक्षक पिड़ावा द्वारा प्रकरण में पुलिस थाना पिड़ावा में अप्रार्थी कालूसिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की सहपठित धारा 7 के तहत 155/2016 नम्बर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है व उक्त प्राथमिकी के परिणाम स्वरुप वाहन महिन्द्रा लोडिंग ऑटो सं0 आरजे 17 जीए 2618 जब्त है। प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने से प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है ऐसी स्थिति में जब्त वाहन महिन्द्रा लोडिंग ऑटो सं0 आरजे 17 जीए 2618 का अन्तिम निस्तारण सक्षम अधिकारिता रखने वाले माननीय न्यायालय के निर्णय अनुरूप होगा। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर,
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 162/प्रा0पत्र/16

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पिड़ावा,झालावाड़

बनाम

कालूसिंह/अमानसिंह

ग्राम पंचायत खारपाकलां, तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 408 लीटर नीला केरोसीन मय 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता वाली व एक महिन्द्रा लोडिंग ऑटो गाडी सं0 आर जे 17 जीए 2618 को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांकः 06.03.2018

यह प्रा0पत्र प्रवर्तन निरीक्षक पिड़ावा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश किया जाकर जब्त 408 लीटर नीला केरोसीन मय 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता वाली व एक महिन्द्रा लोडिंग ऑटो गाडी सं0 आर जे 17 जीए 2618 को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रा0पत्र मेंगें में अंकन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक को दिनांक 27.08.2016 को पुलिस थाना पिड़ावा द्वारा केरोसीन पकडने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त होने पर पुलिस थाना पहुंचने पर पुलिस थाना द्वारा एक महिन्द्रा लोडिंग ऑटो सं0 आरजे 17 जीए 2618 में नीला केरोसीन 410 लीटर 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता में मिला । वाहन के ड्राईवर कालूसिंह ने स्वंय को वाहन का मालिक बताया। ड्राईवर द्वारा गाडी में केरोसीन,गेंहू धनिया आदि को खारपां कला से पिड़ावा त्रिलोक जैन के यंहा बेचने जाना बताया व उक्त नीला केरोसीन रखबचन्द जैन नि0 खारपां कला का होना बताया। उक्त द्वारा केरोसीन(उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन)आदेश 1993 के क्लॉज 3(1)(2) 3 ख एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 का स्पष्ट उल्लंघन करने पर समस्त 410 लीटर नीले केरोसीन को सभी ड्रम व जेरीकेनों से थोडी–थोडी मात्रा में 03 कांच की 375 एम एल क्षमता की बोतल में सेम्पल लेकर एफएसएल जयपुर भिजवाये गये, शेष रहे 408 लीटर नीले केरोसीन मय लोहे के ड्रम व जेरीकेन को जब्त किया जाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति,पिड़ावा के व्यवस्थापक अब्दुल रशीद की सुपुर्दगी में दिया गया एवं इसके अतिरिक्त पुलिस थाना पिड़ावा में कालूसिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की सहपठित धारा 7 के तहत 155/2016 नम्बर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अप्रार्थी द्वारा केरोसीन(उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन)आदेश 1993 के क्लॉज 3(1)(2) 3 ख एवं राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 2 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने पर जब्त 408 लीटर नीला केरोसीन मय लोहे के ड्रम व जेरीकेन को राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया । प्रकरण में जब्त नीले केरोसीन में छीजत की संभावना के मध्यनजर पत्रांक 437/रीडर/16 दिनांक 04.10.2016 से जब्त 408 लीटर नीला केरोसीन मय 01 प्लास्टिक ड्रम,01 लोहे का ड्रम, 02 प्लास्टिक जेरीकेन 55–60 लीटर क्षमता वाली का नियमों के परिपेक्ष्य में अन्तरिम निस्तारण करवाया जाकर प्राप्त राशि को अमानत मद में जमा कराने हेतु जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को निर्देशित किया गया। अप्रार्थीगण की और से अभिभाषक श्री कालूसिंह सिसोदिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व दिनांक 27.02.2017 को जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़